रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2010/फाल्गुन 6, 1931

No. 404] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2010/PHALGUNA 6, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

का.आ. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, अपनी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) तटीय विनियमन जोन घोषित किया था और उक्त जोनों में उनके संरक्षण के लिए, उद्योगों की स्थापना और विस्तार, संचालनों और प्रक्रियाओं पर कतिपय निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और उक्त अधिसूचना को, विभिन्न समितियों की सिफारिशों, न्यायिक निर्णयों, उक्त अधिसूचना के मूल उद्देश्यों से संगत राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अभ्यावेदनों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, तटीय क्षेत्रों के समुचित विकास के साथ तटीय संसाधनों के संरक्षण के लिए उक्त अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन में उसके द्वारा प्रस्तुत लगातार कठिनाइयों को बोधगम्य करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पूर्व समितियों के निष्कर्षों और सिफारिशों, न्यायिक निर्णयों विभिन्न स्टेक होल्डरों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिसूचना का (उसके समस्त संशोधनों सहित) व्यापक पुनर्विलोकन करने के लिए और तटीय क्षेत्र प्रबंधन के सुस्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों से संगत तटीय विनियामक ढांचा बनाने के लिए पर्याप्त संशोधन, यदि कोई हो, सुझाने के लिए, प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, पर्यावरणीय विधि, समुद्री जैव विविधता, समुद्री भू-विज्ञान पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, सामाजिक-आर्थिक, दूर-संवेदी, तटीय इंजीनियरी, शहरी योजना और समुद्री मत्स्यकी के क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित, प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

और ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञ समिति ने 14 फरवरी, 2005 को केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को, विद्यमान विनियमों और संस्थागत ढांचों को शक्तिशाली बनाने और तटीय संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के अंतरालों को, तटीय जोनों के सजीव और निर्जीव संसाधनों में वृद्धि द्वारा; अन्त्य मौसम और भूगर्भीय घटनाओं से तटीय जनसंख्या तथा संरचनाओं को जलप्लावन के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करते हुए कि द्वीपों को आबादी की आजीविकाएं मजबूत की गई हैं; की विनिर्दिष्ट सिफारिशों वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जनता के ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) के अधीन एक प्रारूप, 22 जुलाई, 2008 को, अधिसूचना द्वारा संख्यांक का.आ. 1761(अ) जारी किया था ।

और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को उस प्रारूप अधिसूचना पर बड़ी संख्या में सुझाव और आक्षेप प्राप्त हुए थे जिसकी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गई थी जिसने अन्य बातों के साथ द्वीपों के ऐसे एकीकृत प्रबंधन पर जो पारिस्थितिकी, सामाजिक मुद्दे विशेष रूप से मछुआरों, समुद्र स्तर का उठान, सुनामी और धारणीय विकास से संबंधित हो, आधारित किए जाने वाले अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए पृथक् अधिसूचना के लिए सिफारिश किरते हुए अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत की थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उपरोक्त रिपोर्ट और उसमें की गई समस्त सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् तथा अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप की स्थलाकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए इन द्वीप समूहों के प्रबंधन के लिए विशेष रूपरेखा के उपबंध करने का विनिश्चय किया है ;

और अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, निरन्तर ऐसी चक्रवाती परिस्थितियों का सामना करते हैं जो कभी-कभी बृहद् स्तर पर जीवन और संपत्ति का विनाश करते हैं और प्राकृतिक परिसंकट को नियंत्रित करना कठिन कार्य है किंतु पूर्वावधानी संबंधी उपाय जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में द्वीप के समुदायों को अवस्थित करने के लिए योजना बनाना, प्राकृतिक संरक्षण प्रणालियों जैसे गराने, प्रवाल-भित्तियां, रक्षक मेखला बागानों के साथ- साथ पूर्व चेतावनी प्रणालियां, समय पर शिक्षा और शमन उपाय, एक बड़े स्तर तक जीवन और संपत्ति की हानि को कम कर सकते हैं ;

और प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के तटीय और समुद्री क्षेत्रों में क्रियाकलाप के प्रबंधन और विनियमन और संरक्षा की दृष्टि से तथा प्राकृतिक परिसंकटों के कारण बाढ़ के जोखिम में से द्वीपों की जनता और इमारतों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि द्वीपों की आबादी की जीविकाएं मजबूत की गई हैं, एक विशेष रूपरेखा प्रस्तावित की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण(संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन निम्नलिखित प्रारूप प्रस्ताव को बनाने का और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 114 (अ),तारीख 19 फरवरी, 1991 को जहां तक उनका संबंध अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रस्ताव करती है और उसको उन व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया गया था ;

और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्तावों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर और उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

और प्रारूप प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति उन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली - 110 003 को या I@menf.nic.in के ई मेल पते पर भेज सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

केंद्रीय सरकार, (पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक परिसंकटों के प्रति तट की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अविरतीय एकीकृत प्रबंध योजना के माध्यम से स्थानीय समुदायों को जीविका सुरक्षा प्रदान करने, द्वीप समूह अद्वितीय पर्यावरण और इसके मेरीन क्षेत्र के संरक्षण और सुरक्षा के संवर्धन और विकास के संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र और लक्षद्वीप द्वीप समूह क्षेत्रों और राज्यक्षेत्रीय समुद्र सीमा तक उनके जल क्षेत्र को द्वीपसमूह संरक्षण जोन के रूप में घोषित करती है और इन क्षेत्रों को एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना के उपबंधित रीति के सिवाय, किसी उद्योग की स्थापना और विस्तार, संचालनों या प्रक्रियाओं और विनिर्माण या परिसंकटमय पदार्थ (उठाई-धराई, प्रबंध और पार सीमा संचलन) नियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई या भंडारण या व्ययन के लिए निर्बंधित करती है ।

1. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करना :-

(1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संरक्षण जोन के एकीकृत अविरतीय विकास के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी विद्यमान और प्रस्तावित विकास, संरक्षण और परिरक्षण स्कीमों, अवसंरचना परियोजनाओं, विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि सहित आवासीय एककों को उपदर्शित करने वाले क्षेत्र विनिर्दिष्ट होंगे ।

(2) लक्षद्वीप द्वीपसमूह संरक्षण जोन के एकीकृत अविरतीय विकास के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी विद्यमान और प्रस्तावित विकास, संरक्षण और परिरक्षण स्कीमों, अवसंरचना परियोजनाओं, विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि सहित आवासीय एककों को उपदर्शित करने वाले क्षेत्र विनिर्दिष्ट होंगे ।

(3) द्वीपसमूह प्रशासन, यदि वह आवश्यक समझे, इस अधिसूचना की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान मे रखते हुए, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना तैयार करने में तटीय संसाधन प्रबंध में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली अनुसंधान संस्थाओं की सहायता ले सकेगा ।

(4) द्वीपसमूह और जलीय क्षेत्रों में सभी क्रियाकलाप, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजनाओं के आधार पर, यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा विनियमित होंगे ।

(5) द्वीपसमूह के विकास क्रियाकलापों को, इस समय द्वीपसमूह में प्रवृत्त स्थानीय नगर और ग्राम योजना के नियमों, विनियमों और निर्माण उपविधियों के अनुसार एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना में सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) रक्षा मंत्रालय की अपेक्षाओं को, यदि कोई हो, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाएगा और रक्षा संबंधी सभी परियोजनाओं का निर्धारण सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सचिव, रक्षा मंत्रालय

और, यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन के मुख्य सचिव से मिलकर बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(7) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना, प्रत्येक द्वीप के लिए और जैसा कि समय-समय पर अपेक्षित हो, अलग-अलग बनाई जाएंगी ।

(8) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना बनाते समय, इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को विचार में लिया जाएगा :

परंतु यदि वे क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों में सम्मिलित हैं तो उन्हें योजना में पृथक् रूप से उल्लिखित किया जाएगा और उनका विनियमन उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में स्वीकृत क्रियाकलाप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण में भी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की उसी तारीख की अधिसूचना सं0 1533 (अ) के अधीन किए गए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे ।

(10) (क) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करने के पश्चात्, द्वीपसमूह योजना का व्यापक रूप से प्रचार करेंगे और योजनाओं के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर जनता और अन्य पण्यधारियों से सुझाव आमंत्रित करेंगे ;

(ख) योजनाओं का प्रचार कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशन और प्रशासन की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा ;

(ग) योजना की हार्ड प्रति तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय और प्रदूषण नियंत्रण सचिव के कार्यालय में जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(घ) टिप्पणियां प्राप्त होने पर, द्वीपसमूह प्रशासन योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करेगा और इस पर विचार किए जाने और अनुमोदन के लिए इसे केंद्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ;

(ङ) योजना की तैयारी में उत्पन्न किसी शिकायत के समाधान और निपटारे के लिए द्वीपसमूह तटीय प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध् प्राधिकरण जिम्मेदार होंगे ।

(11) केंद्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना की प्राप्ति के पश्चात्, योजना की समीक्षा करने पर, यदि वह संतुष्ट है, इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करेगा ।

(12) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के अधीन सभी क्रियाकलापों को द्वीपसमूह में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऐसी योजना के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा ।

2. अवधि, जिसके लिए योजना विधिमान्य होगी :--

एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और अगली एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना, योजना के अवसान की तारीख के पूर्व छह मास के भीतर तैयार की जाएगी :

परंतु यह कि, यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन, किसी भी समय, जैसा कि अपेक्षित हो, योजना का पुनर्विलोकन कर सकेंगे ।

3. योजना का प्रवर्तन और मानीटरिंग :-

यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के प्रवर्तन और मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे ।

4. द्वीप संरक्षण जोन प्रबंध प्राधिकरण :-

(1) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 2058 (अ) तारीख 11 अगस्त, 2008 द्वारा गठित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संरक्षण जोन प्रबंधन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संरक्षण जोन में किए जाने वाले क्रियाकलापों पर एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के अनुसरण में विचार और अनुज्ञात करेगा ।

(2) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 308 (अ) तारीख 10 मार्च, 2006 द्वारा गठित लक्षद्वीप द्वीपसमूह संरक्षण जोन प्रबंधन प्राधिकरण, लक्षद्वीप द्वीपसमूह संरक्षण जोन में एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के अनुसरण में सभी क्रियाकलापों पर विचार और अनुज्ञात करेगा ।

(3) सभी विकासात्मक क्रियाकलाप, अनुमोदित एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के अनुसार किए जाएंगे ।

(4) इस अधिसूचना के अधीन अनापत्ति प्रदान करते समय, संबंधित अभिकरण, यथास्थिति, उप पैरा (1) या उप पैरा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगा ।

(5) पर्यावरण प्रभाव निर्धारण या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) को आकर्षित करने वाली विकासात्मक परियोजनाओं पर उनके अधीन किए गए उपबंधों के अनुसरण में विचार किया जाएगा और कोई भी सिफारिश किए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

अनुसूची 1

[पैरा 1(3) देखिए]

एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के लिए जलीय क्षेत्र सहित संपूर्ण द्वीप पर विचार किया जाएगा ।

2. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजनाएं, उसमें दस वर्ष की समय सीमा के साथ सभी वर्तमान और भावी विकास, संरक्षण और परिक्षण स्कीमों को उपदर्शित करते हुए तैयार की जाएंगी ।

3. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजनाओं में ऊंचाई, भू आकृति विज्ञान, समुद्र स्तर रूझान और क्षेत्रिज रेखीय विस्थापन पर आधारित मानव जीवन और संपत्ति के प्रति संवेदनशीलता का समाधान होगा और उसमें ऐसे समुचित क्षेत्र उपदर्शित किए जाएंगे जो आवासीय इकाइयों, अवसंरचना आदि को अवस्थित करने हेतु सुरक्षित हों ; और एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में स्थानीय समुदायों के जीवन और संपत्ति, प्राकृतिक परिसंकट से अवसंरचना की सुरक्षा के लिए रक्षोपाय उपदर्शित किए जाएंगे ।

4. आंतरिक सड़कों सहित सभी विद्यमान सड़कों को सुदृढ बनाया जाएगा क्योंकि ये सड़के प्राकृतिक परिसंकट के दौरान जीविका, संचार, बचाव, राहत और निष्क्रमण उपायों में काम आएंगी ।

5. आबादी से लगे स्टिल्ट पर और ऊंचे क्षेत्रों पर चक्रवात के लिए पर्याप्त आश्रय चिन्हित और निर्मित किए जाएंगे ।

6. विद्यमान और नए विद्यालय, बाजार क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं (सार्वजनिक प्रसाधनों को छोड़कर) जहां जनता की बड़ी संख्या एकत्रित होती है, सामान्यता सुरक्षित क्षेत्रों, अधिमानतः ऊंचे क्षेत्रों या संरक्षित क्षेत्रों में अवस्थित किए जाएंगे ।

7. अतिसमुद्र के साथ-साथ स्थानीय वनस्पति के साथ पर्याप्त जीव-शील्ड, मैंग्रोव सहित वृक्ष लागए जाएंगे और अन्य साफ्ट उपाय किए जाएंगे ।

8. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना वैज्ञानिक प्रद्धति पर आधारित होगी और संबंधित अधिकरणों के अनुमोदन से समुचित तटीय संरक्षण ढांचों का निर्माण ऐसी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

9. समुद्री किनारों की रक्षा की जाएगी और वहां कोई भी विकासात्मक क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा ।

10. बालू टिब्बों को, जो बाढ़ आने पर प्राकृतिक अवरोध होते हैं, संरक्षित और अनुरक्षित रखा जाएगा या झाड़ियां आदि लगाकर अथवा अन्य उपायों से उन्हें पुनः बनाया जाएगा ।

11. द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मत्स्य संकलन युक्तियों का संस्थापन सहित स्थानीय समुदायों द्वारा परम्परागत रूप से मछली पकड़ने पर कोई निर्बंधन नहीं होगा ।

12 (क) उचित वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात्, संनिर्माण सामग्री, विशेषकर गहरे समुद्र तल (पंद्रह मीटर गहराई से आगे) का खनन, योजना में अनुज्ञात किया जा सकता है ;

(ख) वैकल्पिक संनिर्माण सामग्री जैसे बांस, स्थानीय वन उत्पाद पहचाना और उपयोग किया जा सकता है,

(ग) अन्य सामग्रियां जैसे धातु, खोखले ईंट ब्लाक, आदि मुख्य भूमि से आयातित किए जाएंगे ।

13 गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत विशेषकर वायु, सौर और ज्वार भाटा ऊर्जा, अलवणीयता, जल पुनर्चक्रण और स्थानीय उत्पादों का उपयोग पर जोर दिया जाएगा ।

14 चक्रवात, सूनामी आदि के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली का उपबंध किया जाएगा और आपदा की दशा में बचाव और अनुतोष उपाय एकीकत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में निर्मित किए जाएंगें ।

15 एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनः स्थापन और पुर्नवास करने के लिए आवश्यक उपबंध किए जाएंगें ।

16 एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में आवासन के अधीन क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे तथा भविष्य में विकास के लिए योजना बनाई जाएगी ।

17 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन अधिसूचित रिजर्व वनों, संरक्षित वनों, राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के क्षेत्र तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन संरक्षित क्षेत्रों में विकास गतिविधियां अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ।

18 योजना बनाने के समय पर विद्यमान स्थानीय समुदायों की निवास इकाईयां या अवसंरचना विस्थापित नहीं की जाएंगी ।

19 पुननिर्माण गतिविधियों समेत विद्यमान भवनों या अवसंरचना की मरम्मत अनुज्ञात की जाएगी ।

अनुसूची 2

(पैरा 1(8) देखें)

भाग क

पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्रों की सूचक सूची

1 मैनग्रोव ।
2 मूंगा चटटानें ।
3 रेतीले किनारे और रेत के टीले ।
4 पंकभूमि ।
5 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।
6 लवणीय दलदल ।
7 कछुओं द्वारा अण्डा देने वाली भूमि ।
8 नाल केकडां आवास ।
9 समुद्री घास क्यारियां ।
10 समुद्री खरपतवार क्यारियां ।
11 चिडियों द्वारा घोंसला बनाने वाली भूमि ।
12 मत्स्य आखेट ग्राम और परंपरागत अधिकारों वाले क्षेत्र ।

भाग ख

द्वीपसमूह क्षेत्र में अनुज्ञेय और अननुज्ञेय गतिविधियां

1 प्रतिषिद्ध गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थातः-

(i) मूंगों का विनाश,
(ii) मूंगा क्षेत्रों, स्थानीय और संकटापन्न प्रजातियों के घोंसला बनाने और प्रजनन करने वाले क्षेत्रों में और उसके आसपास रेत का खनन ।
(iii) मूंगा चटटानों, मैनग्रोव की समुद्री तरफ तल संरक्षण संकर्मों (कठोर संनिर्माण) का संनिर्माण ।
(iv) अनुपचारित मल या बहिः स्त्राव का निपटान
(v) फ्लाई ऐश, औद्योगिक कचरा, चिकित्सीय कचरा, गैर-अपघटनीय कचरा, आदि समेत ठोस कचरे का निपटान
(vi) पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्रों से दस किलोमीटर की भीतर यथास्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन यथा प्रतिषिद्ध उद्योगों का लाल प्रवर्ग ।

2 वे गतिविधियां जो ऊपर एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में सूचीबद्ध नहीं हैं, संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट की जाएंगी ।

[फा. सं. 12-3/2008-आई. ए.-III]

डॉ. नलिनी भट, वैज्ञानिक 'छ'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

S.O. 482(E).—WHEREAS the Central Government vide its notification number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, (hereinafter referred to as the said notification), declared Coastal Regulation Zone and imposed certain restrictions on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zones for its protection;

AND WHEREAS, the said notification was amended, from time to time, based on recommendations of various committees, judicial pronouncements, representations from State Governments, Ministries and Departments of the Central Government, and the general public, consistent with the basic objective of the said notification;

AND WHEREAS, perceiving the continuing difficulties posed by the said notification in its effective implementation for the sustainable development of coastal regions as well as conservation of coastal resources, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan, with experts in the areas of environmental law, marine biodiversity, marine geology, environmental economics, socio-economic, remote sensing, coastal engineering, urban planning and marine fisheries, to carry out a comprehensive review of the said notification (including all its amendments) in the light of findings and recommendations of previous committees, judicial pronouncements, representations of various stakeholders, and to suggest suitable amendments, if necessary, to make the coastal regulatory framework consistent with well established scientific principles of coastal zone management;

AND WHEREAS, the above referred Expert Committee had submitted its report to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests on 14th February, 2005 containing specific recommendations to build on the strengths of existing regulations and institutional structures and fill gaps for conservation and improving the management of the coastal resources by enhancing the living and non-living resources of the coastal zone; by ensuring protection to coastal populations and structures from risk of inundation from extreme weather and geological events; and by ensuring that the livelihood security of populations living in islands are strengthened;

AND WHEREAS, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests issued a draft notification on the 22nd July, 2008 vide number S.O.1761(E) under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) inviting suggestions and objections from the public likely to be affected thereby;

AND WHEREAS, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests received large number of suggestions and objections on the draft notification which were examined by an Expert Committee constituted under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan which submitted its report on the 16th July, 2009, *inter-alia,* recommending for a separate notification for protection of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands to be based on integrated management of Islands that address the ecology, socio-economic issues especially of fisherfolk, sea-level rise, tsunami and sustainable development;

AND WHEREAS, the Central Government, after carefully considering the above said report and all the recommendations made therein and keeping in view the topography and spread of the Andaman and

Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands, have decided to provide a special framework for management of these groups of islands;

AND WHEREAS, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands face frequent cyclonic conditions which some times cause large scale destruction of life and property and it is difficult to control the natural hazards, but precautionary measures such as planning for locating island communities in safer areas, protecting and propagating the natural protecting systems such as mangroves, coral reefs, shelter belt plantations, alongwith installation of early warning systems, timely evacuation and relief measures can minimize loss of life and property to a large extent;

AND WHEREAS, in accordance with the recommendations made by the Expert Committee under the Chairmanship of Prof. M. S. Swaminathan, the Central Government proposes a special framework for managing and regulating activities in the coastal and marine areas of the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands with a view to conserving and protecting the Islands resources and its environment; and for ensuring protection of the Islands population and structures from risk of inundation due to natural hazards; and for ensuring that the livelihoods of Islands population are strengthened;

AND WHEREAS, the Central Government, proposes to make following draft proposals under sub-section (1) and clause (v) of sub section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, in so for as it relate to the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, and the same is published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft proposals shall be taken into consideration by the Central Government on and after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the this notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS, any person interested in making any objections or suggestions on the draft proposals may forward the same in writing within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, or at e-mail address: secy@menf.nic.in.

DRAFT PROPOSALS

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, with a view of providing livelihood security to the local communities, promote conservation and protection of Islands unique environment and its marine area and to promote development through sustainable integrated management plan based on scientific principles taking into account the vulnerability of the coast to natural hazards, hereby declare the entire Andaman and Nicobar Islands area and the Lakshadweep Islands areas and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone and restricts the areas from the setting up and expansion of any industry, operations or processes and manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Hazardous Substances (Handling, Management and Transboundary Movement) Rules, 2009, except in the manner provided in the Integrated Islands Management Plan.

1. Preparation of Integrated Islands Management Plan.-

(1) The Andaman and Nicobar Islands Administration shall, within a period of one year from the date of this notification, for the purpose of integrated sustainable development of the Andaman and Nicobar Islands Protection Zone, prepare the Integrated Islands Management Plan, *interalia,* specifying therein the areas indicating all the existing and the proposed developments, conservation

and preservation schemes, dwelling units including infrastructure projects such as, schools, markets, hospitals, public facilities, etc.

(2) The Lakshadweep Islands Administration shall, within a period of one year from the date of this notification, for the purpose of integrated sustainable development of the Lakshadweep Islands Protection Zone, prepare the Integrated Islands Management Plan, *interalia,* specifying therein the areas indicating all the existing and the proposed developments, conservation and preservation schemes, dwelling units including infrastructure projects such as, schools, markets, hospitals, public facilities, etc.

(3) The Islands Administration may, if it consider necessary, take the help of research institutions having experience and specialisation in coastal resource management in the preparation of Integrated Islands Management Plan taking into account the guidelines specified in Schedule I to this notification.

(4) All activities in the Islands and the aquatic areas shall be regulated by the Andaman and Nicobar Islands Administration or the Lakshadweep Islands Administration, as the case may be, on the basis of Integrated Islands Management Plans.

(5) The developmental activities in the Islands shall be included in the Integrated Islands Management Plan in accordance with rules, regulations and building bye-laws of local town and country planning for the time being in force in the Islands.

(6) The requirements of the Ministry of Defence, if any, shall be incorporated in the Integrated Island Management Plans and all defence related projects shall be assessed by a Committee consisting of the Secretary in the Ministry of Environment and Forests, Secretary in the Ministry of Defence and the Chief Secretaries of the Andaman and Nicobar Islands Administration, or as the case may be, the Lakshadweep Islands Administration.

(7) The Integrated Island Management Plans shall be prepared separately for each Island, and, as may be required from time to time.

(8) Ecologically sensitive areas as specified in Schedule II to this notification shall be taken into consideration while preparing the Integrated Island Management Plan:

Provided that if those areas are included in the National Parks or Sanctuaries notified under the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) shall separately mentioned in the plan and be regulated in accordance with the provisions of that Act.

(9) The activities permitted in the Integrated Islands Management Plan shall also be undertaken in accordance with the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules or notifications made or issued thereunder and after taking into consideration the Environment Impact Assessment, done under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) of the same date.

(10) (a) The Island Administrations, after preparing the Integrated Island Management Plans shall widely publicise the plan and invite suggestions from the public and other stakeholders within a period of thirty days from the date of publication of the plans;

(b) The plans shall be publicised by publishing it in atleast two newspapers and website of the Administration;

(c) The hard copy of the plan shall be made available to the public at the office of the Chairman and Member-Secretary of the Coastal Zone Management Authorities, District Collector's Office and Office of the Pollution Control Committee;

(d) On receipt of the comments, the Island Administration shall make necessary changes in the plans and submit to Central Government in the Ministry of Environment and Forests for its consideration and approval;

(e) The Islands Coastal Zone Management Authority and the National Coastal Zone Management Authority shall be responsible to address and dispose off any grievance arising out of preparation of the plan.

(11) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests, after receipt of the Integrated Islands Management Plan, shall, after examining the plan if it is satisfied, approve within a period of sixty days from the date of its receipt.

(12) All the activities under the Integrated Islands Management Plan shall be regulated in accordance with such Plan by the concerned authorities in the Islands.

2. Period for which Plan shall be valid.-

The Integrated Islands Management Plan shall be valid for a period of five years and the next Integrated Islands Management Plan shall be prepared within a period of six months before the date of expiry of the Plan:

Provided that the Andaman and Nicobar Islands Administration or, as the case may be, the Lakshadweep Islands Administration, may review the plan at anytime as may be required.

3. Enforcement and monitoring of Plan.-

The Andaman and Nicobar Island Administration, or as the case may be, the Lakshadweep Islands Administration shall be responsible for the enforcement and monitoring of the Integrated Islands Management Plan.

4. Island Protection Zone Management Authority.-

(1) The Andaman and Nicobar Islands Protection Zone Management Authority constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.2058(E), dated the 11th August, 2008 shall consider and allow carrying out the activities in accordance with the Integrated Islands Management Plan in the Andaman and Nicobar Islands Protection Zone.

(2) The Lakshadweep Islands Zone Management Authority constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.308(E), dated the 10th March, 2006 shall consider and allow carrying out activities in accordance with the Integrated Islands Management Plan in the Lakshadweep Islands Protection Zone.

(3) All developmental activities shall be undertaken as per the approved Integrated Islands Management Plan.

(4) The concerned agencies, while according clearance under this notification, shall take into consideration the recommendations made by Authority referred to in sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2), as the case maybe.

(5) The developmental projects attracting Environment Impact Assessment or the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) shall be considered in accordance with the provisions made thereunder and prior approval obtained from the competent authority before making any recommendations.

Schedule I
[See paragraph 1(3)]

GUIDELINES FOR PREPARATION OF INTEGRATED ISLANDS MANAGEMENT PLAN

1. The entire island including the aquatic area shall be considered for the Integrated Island Management Plan.
2. Integrated Island Management Plans shall be prepared indicating therein all present and future developments, conservation and preservation schemes with a time frame of ten years.
3. The Integrated Island Management Plan shall address vulnerability to human life and property based on elevation, geomorphology, sea level trends and horizontal line displacement and indicate suitable areas that are safe for locating dwelling units, infrastructure, etc., and appropriate safeguards measures to protect the life and property of the local communities, infrastructure from natural hazards shall be indicated in the Integrated Islands Management Plan.
4. All the existing roads including the internal roads shall be strengthened, as these roads shall serve for the purpose of livelihood, communication, rescue, relief and evacuation measures during natural hazards.
5. Adequate cyclone shelters shall be earmarked and constructed on elevated areas or on stilts adjacent to populated areas.
6. The existing and as well new schools, market areas and other public facilities (excluding public toilets) where large number of public congregate, shall normally be located on safe areas preferably in elevated areas or protected areas.
7. Along the seaward side sufficient bio-shield with local vegetation, trees including mangroves shall be planted and other soft protection measures.
8. The Integrated Islands Management Plan shall be based on scientific methodology and with the approval of the concerned authorities, including the appropriate coastal protection structures be constructed in accordance with such Plan.
9. The beaches shall be protected and no developmental activities shall be permitted therein.
10. Sand dunes, being natural barrier in the event of flooding, shall be conserved and maintained or regenerated by planting shrubs or through appropriate measures.
11. There shall be no restriction with regard to traditional fishing by local communities including installation of fish aggregating devices as recommended by the Islands Administrations.
12. (a) The mining of construction material, especially sand from deep sea bed (beyond fifteen meters depth), after undertaking proper scientific studies may be permitted in the Plan;
    (b) the alternative construction material, such as, bamboo, local forest products may be identified and used;
    (c) the other materials, like, metal, hollow brick blocks, etc., shall be imported from the mainland.
13. Emphasis shall be given to use of non-conventional energy resources especially, wind, solar and tidal energy, desalination, water recycling, and use of local products.
14. Early warning system shall be provided for cyclone, tsunami, etc., and a evacuation and relief measure plan in case of disasters shall be built into the Integrated Islands Management Plan.

15. Necessary provision shall be made in the Integrated Islands Management Plan for relocation and rehabilitation of people displaced due to natural disasters.
16. Integrated Islands Management Plan shall also include the areas under habitation and make plan for future development.
17. No developmental activities shall be permitted in the area under reserve forests, protected forests, national parks and sanctuaries notified under the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or the Wild Life Protection Act, 1972 (53 of 1972) and the areas protected under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
18. The dwelling units or infrastructure of local communities as are existing at the time of preparation of Plan shall not be displaced.
19. Repair of existing buildings or infrastructure including reconstruction activities shall be allowed.

Schedule II

[See paragraph 1(8)]

PART A

INDICATIVE LIST OF ECOLOGICALLY SENSITIVE AREAS

1. Mangroves.
2. Coral reefs.
3. Sand Beaches and Sand Dunes.
4. Mudflats.
5. Protected areas under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
6. Salt Marshes.
7. Turtle nesting grounds.
8. Horse shoe crabs habitats.
9. Sea grass beds.
10. Sea weed beds.
11. Nesting grounds of birds.
12. Fishing villages and areas of traditional rights.

PART B

PERMISSIBLE AND NON-PERMISSIBLE ACTIVITIES IN THE ISLANDS AREA

1. Activities that are prohibited *inter-alia* include the following, namely:-

(i) destruction of corals;
(ii) mining of sand from in and around coral areas, nesting and breeding grounds of endemic and endangered species;
(iii) construction of shore protection works (hard constructions) on the seaward side of the corals, mangroves;
(iv) disposal of untreated sewage or effluents;
(v) disposal of solid wastes including fly ash, industrial waste, medical waste, non-biodegradable waste, etc.;
(vi) red category of industries (as prohibited under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) or the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 or the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as the case may be) within ten kilometres from ecologically sensitive areas.

2. The activities which are not listed in the Integrated Islands Management Plan above shall be referred to the Ministry of Environment and Forests, Government of India through the concerned Union territory Administration.

[F. No. 12-3/2008-IA.-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.